

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/

204

दिनांक - 4.2.19

प्राथीगण
1 शकुर खां पुत्र गुरदा खां जाति
मुसलमान निवासी जुणेजों मेहरों की
बस्ती (भाड़खा) तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 अली पुत्र आड़त खां 2 हसन खां पुत्र रहमान
खां 3 अब्दुल वायद पुत्र गुरदां खां जाति
मुसलमान निवासी जुणेजों मेहरों की बस्ती
(भाड़खा) 4 वंतली पत्नी खीमाराम 5 हेमाराम
6 मांगीलाल पिसरान कानाराम 7 ताराराम पुत्र
हरदासराम जाति गुरडा निवासी हरीयाली
(भाड़खा) तहसील व जिला बाड़मेर
8 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-747/2018 दिनांक- 27.01.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जुणेजों मेहरों की बस्ती पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 906/820 रकबा 30.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक
07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर
शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो
प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 4.2.19

क्रमांक :- रीडर/2019/

205-208

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

5. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
6. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
7. शकुर खां पुत्र गुरदा खां जाति मुसलमान निवासी जुणेजों मेहरों की बस्ती (भाड़खा) तहसील व जिला बाड़मेर।
8. विप्रार्थी अली पुत्र आड़त खां वगैराह जाति मुसलमान निवासी जुणेजों मेहरों की बस्ती (भाड़खा) तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर